प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकियां संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ..236/2023 दिनांक ....29/08/2023.....

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं – .

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ..588..... समय .....7:30 P.M.....
(2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 28–08–2023 समय 11.28 ए.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.08.2023 समय 12.30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – हस्तलिखित

5. घटना स्थल : – टेक्सी स्टेण्ड पावर हाउस शहर, तहसील चौराये के पास, डूगंरपुर।
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 425 किलोमीटर
(2) पता –
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री आशीष यादव
(2) पिता का नाम : स्व. श्री गोपाल यादव
(3) आयु : 21 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : दुकान
(7) पताः गांव माडा तहसील गामडी अहाडा जिला डुंगरपुर ।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
1. आरोपी श्री रमेशचन्द्र यादव पुत्र श्री गोविन्द जी यादव उम्र 48 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट नन्दौर थाना सागवाडा जिला डूगरपुर हाल हैड कानि. 526, पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डूगरपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा –4,000/–		परिवादी के पैतृक जमीन के विवाद के सम्बन्ध में पुलिस थाना रामसागड़ा पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की एवज् में एवं परिवादी के विरूद्व द्वितीय पक्ष द्वारा पुलिस थाना रामसागड़ा पर दर्ज परिवाद पर कार्यवाही नहीं करने व परिवाद को आगे नहीं भेजने की एवज् में पुलिस थाना रामसागड़ा के हैड कानि. श्री रमेशचन्द्र यादव द्वारा 10,000 रूपये रिश्वत राशि मांग करना।'' परिवादी श्री आशीष यादव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दिनांक 27.08.2023 को मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई तो आरोपी श्री रमेशचन्द्र यादव हैड कानि. द्वारा 4000 रूपये की मांग कर 1000 रूपये ग्रहण करना पाया गया। जिस पर दिनांक 28.08.2023 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित कर आरोपी की मांग अनुसार परिवादी से शेष रिश्वत राशि 3000 रूपये ग्रहण करते हुए रंगे हाथो अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)	

गिरफ्तार किया गया व दिनांक 27.08.2023 को ग्रहण किये गये 1000 रूपये रिश्वत राशि कुल 4,000 रूपये बरामद की गई।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 4,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 23.08.2023 को समय करीब 12.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर उपस्थित थी। परिवादी श्री आशीष यादव पुत्र स्व. श्री गोपाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी गांव माडा तहसील गामडी अहाडा जिला डुंगरपुर ने ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट श्री रमेश चन्द्र यादव हेड कानि पुलिस थाना रामसागड़ा के विरूध इस आशय की पेश की कि ''मै आशीष यादव पुत्र स्व. श्री गोपाल यादव निवासी गांव माडा तहसील गामडी अहाडा जिला डुंगरपुर है। विषय का लेख इस प्रकार है कि मैने पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डूंगरपुर में दिनांक 30.07.2023 को जमीनी विवाद के संदर्भ में हेड कानिस्टेबल श्री रमेश चन्द्र जी के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद पेश किया था। लेकिन उन्होने कार्यवाही नहीं की। इसके उपरांत दिनांक 12.08.2023 को 12.25 पीएम पर मेरे पर हेड कानिस्टेबल श्री रमेश चन्द्र जी का कॉल आया कि आपको सुबह दिनांक 13.08.2023 को पुलिस थाना रामसागड़ा आना है। जिसके बाद मेने हां कहकर बात पुरी की। अगले दिन 13.08.2023 को सुबह 9.31 एएम पर मैं पुलिस थाना रामसागड़ा पहुंच गया। जिसके उपरांत मुझ प्रार्थी ओर मेरी माता जी श्रीमति काली यादव पत्नी स्व0 श्री गोपाल यादव को उनके आवास स्थल पर बुलाया। इसके बाद उन्होने मुझे बताया कि तुमने जो परिवाद दिया हैं उसके विरूध सामने वाले द्वितीय पक्ष ने भी परिवाद दिया हैं चुकि द्वितीय पक्ष ने झूठा परिवाद पेश किया हैं। ये सच बात जब मेने हेड कानिस्टेबल श्री रमेशचन्द्र को कही तो उन्होने मुझ प्रार्थी को कहा कि ये परिवाद मैं आगे नहीं भेजुंगा। लेकिन इसके एवज में तुझे मुझे 20,000 रूपये देने होंगे। मैं ये सुनकर अचंभित रह गया। क्योंकि मैं प्रार्थी वर्तमान में उदयपुर में रहकर बीएड की पढाई कर रहा हूं। साथ ही परिवार मे आय का कोई स्त्रोत भी नहीं हैं। मेरी माता श्रीमति कालीयादव एक विधवा साथ ही विशेष योग्यजन है। मेरे पिता स्व. श्री गोपाल यादव जी की कोरोना काल में अचानक मृत्यू हो गई थीं। ऐसी स्थिति में मैं 20,000 रूपये की व्यवस्था कहां से करू। कई मिन्नते करने के बाद हेड कानि श्री रमेश चन्द्र जी ने मुझ प्रार्थी को कहा कि ठीक हैं 10,000 रूपये दे देना। इसके बाद भी मेरे पास रूपये नहीं थे तो उन्होने मुझे सोचने का समय दिया कि घर जाकर इसके बारे में सोचना क्योंकि अगर ये परिवाद मैं आगे भेजुंगा तो तुम्हारा केरेक्टर सर्टीफिकेट पर परिवाद के बारे में लिखा जावेगा ओर तुम्हारी कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। ऐसा कहकर मुझ प्रार्थी को मानसिक रूप से तनाव ग्रस्त किया। फिर मैं वहां से घर चला आया। चुंकि मेरे बीएड के प्रेक्टिकल एग्जाम दिनांक 16.08.2023 को थे। इसलिये मैं उदयपुर चला गया। इसके कारण मेरा मानसिक तनाव इतना बढ गया कि मैं मेरी पढाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं साथ ही रिश्वत के 10,000 रूपये कहां से दूं। आय का काई स्त्रोत नहीं हैं। साथ ही उन्होने मुझ प्रार्थी को मानसिक पीडा पहुंचायी हैं। मैं प्रार्थी आशीष यादव पिता स्वं श्री गोपाल यादव हैड कानिस्टेबल श्री रमेशचन्द्र द्वारा रिश्वत की एवज में मेरे से 10,000 रूपये मांगे जा रहे है। जिसको में नहीं देना चाहता हूं। बल्कि हेड कानिस्टेबल श्री रमेश चन्द्र जी को रंगे हाथों पकडवाना चाहूता हूं। मेरी हेड कानिस्टेबल श्री रमेश चन्द्र जी से किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी अथवा रंजिश नहीं हे ना ही किसी प्रकार की लेन–देन बकाया है। इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करे''। परिवादी से मजिद दरियाफ्त की गई। परिवादी श्री आशीष यादव ने बताया कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरे पिता की मृत्यू हो चुकी है। मेरी मां विधवा एवं विकलांग हैं मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं हैं। मैं जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चला रहा हूं। श्री रमेश चन्द्र द्वारा रिश्वत की राशि हेतु दबाव बनाये जाने से मैं मानसिक तनाव में आ गया हूं। इतना कह कर परिवादी श्री आशीष फुट फुटकर रोने लगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को सांत्वना देकर आरोपी श्री रमेश चन्द्र हेड कानि पुलिस थाना रामसागड़ा के विरूध विधि सम्मत कार्यवाही हेतु आश्वासन देकर शांत किया गया। जिस पर परिवादी ने बताया कि श्री रमेश चन्द्र हेड कानिस्टेबल बहुत शातिर है। वह रिश्वत राशि की मांग बोलकर नहीं करते है उन्होने मेरे से पूर्व में भी जब मेने थाने में शिकायत की थी उस समय भीहेड साहब ने मेरे पास आकर धीरे बोलकर हाथ की उंगलियों के इशारे से रिश्वत राशि 20,000 रूपये की मांग की थी। हेड साहब मुहं

से बोलकर रिश्वत की मांग बहुत कम करते है।परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पुछताछ की तो उसके द्वारा शब्द–ब–शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया होने संबंधी ताईद की गई। परिवादी ने बताया कि उक्त टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट तहसील चौराहा डूंगरपुर पर टाईपिंग की दुकान पर टाईप करवाई थी। दुकान का नाम मुझे अभी याद नहीं है। मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधन 2018) में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया जानें पर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशी मांग सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु बताया तो परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 24.08.2023 को मैं रामसागड़ा थाने पर जाकर वार्ता कर सकता हूं।कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाडी मैमोरी कार्ड निकालकर उसके संचालन एवं रख रखाव की विधी को परिवादी श्री आशीष यादव को भलीभांति समझाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 01:15 पीएम पर कार्यालय पर उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक से परिवादी का परिचय करा परिवादी के साथ दिनांक 24.08.2023 को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर रामसागड़ा थाना जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने की हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 24.08.2023 को प्रातः गामडी अहाडा जिला डूंगरपुर पर मिलूंगा। जिस पर परिवादी एवं श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ट लिपिक को एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आदान प्रदान किये गये। परिवादी को बाद मुनासिब हिदायद के रूखसत किया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। हालात श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन निवेदन किये गये।

तत्पश्चात् दिनांक 24.08.2023 को समय करीब 02:33 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल फोन पर श्री लक्षमण सिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाईल फोन पर कॉल किया जिस पर श्री लक्षमण सिंह कनिष्ठ सहायक ने बताया कि ''निर्देशानुसार मैं ब्यूरो से डिजिटल टेप रिकॉर्डर अपने साथ लेकर रवाना हो समय करीब 11.00 एएम पर गामडी अहाडा पहूंचा जहां परिवादी श्री आशीष यादव उपस्थित मिला। संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र यादव हेड कानि के बारे में पता लगाने हेतु समय करीब 11.09 एएम पर परिवादी श्री आशीष यादव के मोबाईल नम्बर 7041281595 से संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र हेड कानि के मोबाईल नम्बर 9571101790 पर कॉल कर परिवादी के मोबाईल फोन को लाउड स्पीकर मोड पर चालू कर वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तो संदिग्ध ने बताया कि मैं थाने पर नहीं हूं बाहर हूं मैं आपको एक दो दिन बाद में फोन कर दूंगा''। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से जरिये फोन वार्ता की तो परिवादी के द्वारा भी श्री लक्षमण सिंह कनिष्ठ लिपिक के कथनो की ताईद कीगई। जिस पर इमरोजा अग्रिम मांग सत्यापन वार्ता की संभावना नहीं होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को आईन्दा संदिग्ध के फोन आने पर ब्यूरो को सुचना करने की तथा अपने निवास पर ही रूकने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 05:00 पीएम पर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 11.00 एएम पर गामडी अहाडा पहूंचा जहां परिवादी श्री आशीष यादव उपस्थित मिला। संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र यादव हेड कानि के बारे में पता लगाने हेतु समय करीब 11.09 एएम पर परिवादी श्री आशीष यादव के मोबाईल नम्बर 7041281595 से संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र हेड कानि के मोबाईल नम्बर 9571101790 पर कॉल कर परिवादी के मोबाईल फोन को लाउड स्पीकर मोड पर चालू कर वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तो संदिग्ध ने बताया कि मैं थाने पर नही हूं बाहर हूं मैं आपको एक दो दिन बाद में फोन कर दूंगा। जिस पर श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी को हिदायत देकर रूखसत कर मैं ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात् दिनांक 27.08.2023 को समय करीब 05:30 पीएम पर श्री लक्षमण सिंह कनिष्ठ लिपिक ने जरिये फोन समय करीब 07:50 एएम पर कॉल कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी ने जरिये फोन मुझ कनि. लिपिक को बताया कि दिनांक 26.08.2023 को श्री रमेश चन्द्र हेड कानि पुलिस थाना रामसागड़ा द्वारा उसे कॉल कर दिनांक 27.08.2023 को प्रातः थाने पर बुलाया है तथा परिवादी बीएड की पढाई के लिये आज उदयपुर में ही उपस्थित है। इसलिये मैं निर्देशानुसार कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना रामसागड़ा जा रहां हूं। जिस पर श्री लक्षमण सिंह कनिष्ठ सहायक आवश्यक हिदायत दी जाकर रवाना किया था, जो इस समय ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर ब्यूरो

के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार मैं एवं परिवादी दोनो डिजिटल टेप रिकॉर्डर अपने साथ लेकर रवाना हो समय करीब 10.30 एएम पर रामसागड़ा पुलिस थाने से कुछ दूरी पहले पहुंचे। समय करीब 10.54 एएम पर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर संचालन की विधि की समझाईश कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी के पहने हुए कपडो में छुपाकर परिवादी को पुलिस थाना रामसागड़ा की पर जाकर संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र हेड कानि से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु रवाना किया। मैं थाने के आसपास ही अपनी उपस्थिति छुपाये खडा रहा था। समय करीब. 11.55 एएम पर परिवादी पुनः पुलिस थाने से बाहर कुछ दूरी पर आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू अवस्था में मुझे दिया जिसे मेने बंद कर अपने पास रखा। परिवादी श्री आशीष यादव ने बताया कि मैं डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु अवस्था में अपने साथ लेकर पुलिस थाने पर गया जहां श्री रमेश चन्द्र जी हेड साहब केबैठक कक्ष में श्री रमेश चन्द्र यादव हेड कानि उपस्थित नही मिले जिस पर परिवादी मेने अपने मोबाईल फोन से संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र हेड कानि के मोबाईल फोन पर कॉल किया तो हेड साहब ने बताया कि मैं थाने से निकलकर पास ही क्वार्टर पर आ गया हूं तुम यहां आ जाओ जिस पर मैं थाने के पास स्थित हेड साहब के क्वार्टर पर गया जहां हेड साहब उपस्थित मिले। उन्होने मेरे से मेरी शिकायत के बारे में बात की तथा बताया कि मैं तेरे को थाने में बन्द कर दूंगा तेरा केरियर खराब हो जाएगा। ये तेरे चरित्र प्रमाण पर भी लिखा जाएगा ओर तेरे कभी नौकरी नही लगेगी। जिस पर मेने बताया कि मेरे विरूध झूठी रिपोर्ट लिखी है। इसके बाद हेड साहब ने मेरे को उनके हाथ की 4 अंगुलियों से ईशारा कर बताया कि मेरे को इतने (4,000 रूपये के आशय से) कर दे जिस पर मेने उन्हे इतने रूपये नहीं होने के लिये कहा तो उन्होने कहा कि तेरे को मैं बंद करूंगा। फिर हैड साहब ने मेरे पास रखे बेग को चेक किया तथा मेरे से रिश्वत की मांग की जिस पर मेने अपने पास रखे हुए 500-500 रूपये के 4 नोट कुल 2000 रूपये मे से 02 नोट कुल 1000 रूपये निकाल कर उन्हे दिये तो हेड साहब ने मेरे पास रखे 1000 रूपये भी लेने की नियत से मेरे हाथ खिचने लगे तो मेने उनको मना किया कि मैं ब्याज से लाया हूं मेरे पास पैसे नही है ओर में बाकी के 3,000 रूपये मैं कल आपको दे दूंगा। जिस पर उन्होने कहा कि तू आज ही मेरे को ऑन लाईन पेमंट कर दे। मेने बताया कि मेरे खाते में पैसे नहीं है तो उन्होने मेरे गुगल पे के खाते को भी मेरे मोबाईल में चेक किया। हेड साहब ने कहा कि 3 गुगल पे कर देना। वार्ता की सत्यता परीक्षण हेतु मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया। टेप रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता स्थानीय वागडी एवं हिन्दी भाषा में होने से श्री लक्षमण सिंह कनिष्ठ लिपिक जो कि स्थानीय वागडी भाषा का जानकार है की उपस्थिति में चलाकर सुना गया तो संदिग्ध श्री रमेशचन्द्र हेड कानि द्वारा परिवादी से 4,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं वार्ता के दौरान 1000 रूपये ग्रहण करना पाया गया तथा शेष 3,000 रूपये ओर प्राप्त करने की सहमति देना प्रमाणित पाया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की अलमारी में रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 06:30 पीएम पर राजकीय अवकाश होने एवं दिनांक को 28.08.2023 को प्रातः जल्दी डूंगरपुर जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष श्री विनय पाठक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उदयपुर को निवेदन कर जरिये वॉटसअप एक लिखित तेहरीर प्रेषित कर दिनांक 28.08.2023 को प्रातः 06.00 एएम पर दो स्वतंत्र गवाह ब्यूरो कार्यालय पर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया। जिस पर जिला परिषद उदयपुर से श्री नितिन भावसार कनिष्ठ सहायक का नाम एवं मोबाईल नम्बर प्राप्त हुआ जिसे जरिये फोन पाबन्द कराया गया। दुसरे अन्य गवाह हेतु श्रीमान् आयुक्त नगर निगम उदयपुर को जरिये तहरीर प्रेषित कर निवेदन किया गया जिस पर संबधित विभाग द्वारा गवाह का मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाया जिस पर कॉल किया गया तो उक्त मोबाईल नम्बर बंद होना पाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 09:30 पीएम पर एक स्वतंत्र गवाह की ओर आवश्यकता होने से तथा नगर निगम उदयपुर के गवाह का मोबाईल फोन बंद होना पाया जाने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अन्य राजकार्य से पूर्व में पाबन्दशुदा गवाह श्री विशाल माथुर वरिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर को जरिये फोन दिनांक 28.08.2023 को प्रातः 6.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने पाबंद कराया गया। गवाह तलबी तेहरीर अकब से प्रेषित की जावेगी।

तत्पश्चात् दिनांक 28.08.2023 को समय 6:05 एएम तलबीशुदा जाब्ता श्री लालसिंह हेड कानि एवं श्री दिनेश कुमार कानि ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुए जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षकद्वारा अपने मंतव्य से अवगत करा कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 6:15 एएम पर श्री विशाल माथुर पुत्र श्री भुवनेन्द्र भारती

उम्र 43 वर्ष निवासी मकान नम्बर 54/423 न्यू विधानगर श्रीजीविहार हिरणमगरी सेक्टर नम्बर 4 उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदपुर एवं श्री नितिन कुमार भावसार पुत्र ललित कुमार उम्र 36 वर्ष निवासी 1073 गोतमेश्वर रोड वार्ड नम्बर 13 अरनोद जिला प्रतापगढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद उदयपुर तलबीशुदा उपस्थित हुए जिस पर उक्त गवाह को मंतव्य से अवगत करा कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 06.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मांगीलाल कानि को कार्यालय में रखी फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशी सुरक्षित अवस्था में अखबार में लपेटकर संभलाकर मन् पुलिस निरीक्षक अपने साथ ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्डमय स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर वरिष्ठ सहायक एवं श्री नितिन कुमार भावसार कनिष्ठ सहायक मय ब्यूरो जाब्ता श्री लाल सिंह हैड कानि, श्री मांगीलाल कानि एवं श्री लक्षमण सिंह कनि. लिपिक के एक प्राईवेट टैक्सी वाहन से तथा श्री गजेन्द्र कुमार सउनि, श्री दिनेश कुमार कानि, श्री सुरेश कुमार कानि, श्री टीकाराम कानि, मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप,यूपीएस एवं आवयश्क संसाधनो के एक अन्य प्राईवेट टेक्सी वाहन से रवाना डुंगरपुर की तरफ रवाना होकर समय करीब 8.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर वरिष्ठ सहायक एवं श्री नितिन कुमार भावसार कनिष्ठ सहायक मय ब्यूरो जाब्ता श्री लाल सिंह हैड कानि, श्री मांगीलाल कानि एवं श्री लक्षमण सिंह कनि. लिपिक के एक प्राईवेट टैक्सी वाहन से तथा श्री गजेन्द्र कुमार सउनि, श्री दिनेश कुमार कानि, श्री सुरेश कुमार कानि, श्री टीकाराम कानि, मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, बेट्री यूपीएस एवं आवयश्क संसाधनो के एक अन्य प्राईवेट टेक्सी वाहन से उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा हॉस्पीटल मोड, डुंगरपुर बाईपास, डुंगरपुर पहुंचे।

तत्पश्चात समय करीब 08.40 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री आशीष यादव उपस्थित आया। परिवादी ने उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि. को दी जाने वाली रिश्वत राशि 3,000 रूपये अपने साथ लेकर आया हूं। जिस पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर एवं नितिन कुमार भावसार से परिवादी का परिचय कराया तथा गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो गवाहान द्वारा अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान कीगई। गवाहान को परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट दिनांक 23.07.20213 को पढकर सुनाई गई तो परिवादी द्वारा लिखित रिर्पोट में अंकित तथ्य शब्द ब शब्द सही होना बताया जिस पर परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर में दिनांक 27.08.2023 को परिवादी एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि के मध्य पुलिस थाने के क्वार्टर पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश को परिवादी एवं गवाहान की उपस्थिति में चलाकर सुनाया गया तो परिवादी ने वार्ता में एक आवाज अपनी तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि की होना बताया। गवाहान द्वारा भी रिश्वत मांग एवं ग्रहण की पुष्टि की गई। फर्द रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता समय अभाव होने से अकब से मुर्तिब की जावेगी। तत्पश्चात् समय करीब 08.50 एएम पर आसपास भीड–भाड एवं लोगो की आवाजाही होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को उसके वाहन से रामसागड़ा रोड थाणा गांव की ओर आगे आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त गवाहान जाब्ता के अपने अपने वाहनो से थाणा गांव की ओर रवाना होकर समय करीब 09:00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी गवाहान परिवादी उपराक्त फिकरा का रवानाशुदा रामसागड़ा रोड थाणा गांव पहंच रोड के एक साईड सुनसान जगह पर अपने –अपने वाहनो को खडा कर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमेश चन्द्र हेड कानि को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री आशीष यादव से मांगने पर परिवादी ने पास से 500–500 रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये। परिवादी श्री आशिष यादव द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 से उसके पास रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी से टैक्सी वाहन टवेरा की पिछली सीट पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी की जामातलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से लिवायी जाकर उक्त नोटों को श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शै: नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री टीकाराम कानि से ट्रेप बॉक्स मे रखे पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाकर एक गिलास में वाहन में रखी पीने के पानी की बोतल से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग

अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 से एक तरफ खुले में फिकवाया गया तथा अखबार एवं पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को जलाकर नष्ट करवाया। श्री मांगीलाल कानि के हाथों को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 को सुपुर्द कर अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पहनी हुई टोपी को हटाकर सिर पर बार हाथ फेरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा करे अथवा मौका मिलने पर अपने मोबाइल से मन् पुलिस निरीक्षक या श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाइल पर कॉल करने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर दिये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का पुनः आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के आवश्यक हिदायत के ब्यूरो कार्यालय उदयपुर के लिए रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की जावेगी।

तत्पश्चात् समय करीब 09:20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री आशीष यादव को उसकी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना रामसागड़ा की ओर आगे-आगे रवाना कर जाब्ता श्री टीकाराम कानि एंव श्री सुरेश कुमार कानि को परिवादी द्वारा उपलब्ध करवायी गई अन्य मोटरसाईकिल से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता गवाहान के अपने अपने वाहनो से थाणा गांव से रवाना हो रामसागड़ा के लिये रवाना होकर ब्यूरो जाब्ता समय करीब 9.40 एएम पर पुलिस थाना रामसागड़ा से कुछ दूरी पहले अलग-अलग टैक्सी वाहनो से डूंगरपुर रोड पर पहुंचे जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री आशीष यादव को रोड की एक साईड रूकने का ईशारा किया जिस पर परिवादी उसकी मोटरसाईकिल एक साईड खडी कर मन् पुलिस निरीक्षक के टेक्सी वाहन के पास आया। जिस पर समय करीब 09.48 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर लेन देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना रामसागड़ा की ओर रवाना किया एवं पिछे पिछे मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाह श्री नितिन कुमार भावसार, श्री लाल सिंह हैडकानि के टेक्सी वाहने से मोडासा की ओर जाने वाले रोड की तरफ एवं दुसरे टेक्सी वाहन को श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि से इसी स्थान पर साईड में निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडा करवाया एवं ब्यूरो जाप्ता श्री टीकाराम, श्री सुरेश जाट, श्री दिनेश कुमार, श्री लक्ष्मण सिंह व गवाह श्री विशाल माथूर को पैदल-पैदल पुलिस थाना के आस पास परिवादी पर नजर रखकर निर्धारित ईशारे के मुकिम रहने हेतु हिदायतन रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता परिवादी के निर्धारित ईशारे के ईंतजार में पुलिस थाना के आसपास ही अपनी अपनी उपस्थिति छुपाये हुए खडे थे कि समय करीब 10.18 एएम पर परिवादी श्री आशीष यादव बिना निर्धारित ईशारा के अपनी मोटर साईकिल से थाना परिसर से बाहर आकर डुंगरपुर जाने वाली मुख्य सडक की तरफ रवाना

हुआ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह टैक्सी वाहन के एवं ब्यूरो जाप्ता पैदल–पैदल परिवादी के पीछे– पीछे डुंगरपुर जाने वाली रोड की तरफ रवाना हुआ। परिवादी पूर्व में दुसरे टेक्सी वाहन जो कि डूंगरपुर जाने वाले मुख्य सडक की साईड पर खडा था के पास पहुँचा जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह के समक्ष परिवादी से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने पास रखा। परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया गया कि मैं पुलिस थाना रामसागड़ा पर गया जहां पर हैडसाहब श्री रमेशचन्द्र नहीं मिले तो मैंने मेरे मोबाइल नं. 7041281595 से हैडसाहब के मोबाईल नं. 9983818609 पर वार्ता की गई तो उन्होने मुझे डूंगरपुर होना बताया एवं डूंगरपुर नया बस स्टेण्ड पर मुझे बुलाया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह कनि. सहा. एवं परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से तथा श्री टीकाराम, श्री सुरेश जाट कानि को अन्य मोटरसाईकिल से आगे आगे रवाना मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार भावसार श्री लालसिंह हेड कानि मय टेक्सी वाहन से तथा ब्यूरो जाप्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री दिनेश कुमार, गवाह श्री विशाल माथूर दुसरे टेक्सी वाहन से करीबन 10.30 एएम पर रवाना हुए। उपरोक्त रवानाशुदा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता परिवादी के समय करीबन 10.55 एएम पर साबेला बाईपास डूँगरपुर पर पहुंचे जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहनों को एक साईड में खडा कर डिजिटल टेप रिकार्डर को चालुकर परिवादी के मोबाईल 7041281595 से आरोपी के मोबाईल नं. 9983818609 पर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन करा वार्ता कराई तो आरोपी का मोबाईल व्यस्त रहा इसी दौरान समय करीब 11.00 एएम पर आरोपी हैडकानि. द्वारा पुनः परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया। उक्त वार्ता अनुसार आरोपी श्री रमेशचन्द्र यादव द्वारा परिवादी को रोडवेज बस स्टेण्ड डूंगरपुर बुलाया गया है। उक्त मोबाईल वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी से होने वाली रिश्वत राशि लेन देन वार्ता रिकार्ड करने एवं रिश्वती राशि दे चुकने के बाद पूर्व निर्धारित ईशारा मन् पुलिस निरीक्षक अथवा ब्यूरो के जाब्ते को देखकर करने की हिदायत देकर रोडवेज बस स्टेण्ड की ओर समय करीबन 11.05 एएम पर परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर रोडवेज बस स्टेण्ड की ओर उसकी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे–पिछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान टेक्सी वाहनों से बस स्टेण्ड की ओर रवाना हुए। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रोडवेज बस स्टेण्ड पर टेक्सी वाहनों को एक साईड खडा करवाया एवं परिवादी पर नजर रखे हुए थे। इसी दौरान परिवादी श्री आशीष यादव रोडवेज बस स्टेण्ड के बाहर मेन रोड पर वहां पूर्व से उपस्थित एक वर्दीधारी पुलिस कर्मी से वार्ता करने लगा।इसी दौरान उक्त वर्दीधारी पुलिस कर्मी ने परिवादी को मोटरसाईकिल स्टार्ट कर स्वंय परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे बैठकर तहसील चौराहा की ओर जाने वाली रोड की तरफ चलने का ईशारा किया। जिस पर परिवादी बिना ने बिना पूर्व निर्धारित ईशारा किये आरोपी को स्वयं की मोटर साईकिल पर पीछे बैठाकर तहसील चौराहे की तरफ रवाना हुआ, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान अलग–अलग टेक्सी वाहनों, मोटरसाईकिल से परिवादी की मोटरसाईकिल के पिछे–पिछे रवाना हो तहसील चौराहे पर पहुंचे। आरोपी द्वारा परिवादी की मोटरसाईकिल को तहसील चौराहे के थोडा आगे की तरफ दुकानो के सामने खडी करवाई एवं आरोपी व परिवादी पैदल–पैदल एक दुकान की तरफ साईड में आड में गये। इसके कुछ समय बाद परिवादी एवं आरोपी दोनो पुनः मेन रोड की तरफ आये। इसी दौरान आरोपी एवीवीएनएल कार्यालय बाहर स्थित टेक्सी स्टेण्ड की तरफ रवाना हुआ। आस पास काफी भीड भाड होने से परिवादी ने श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर 9601664361 पर समय करीब 11.28 एएम पर कॉल कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर हमरा जाब्ता द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के निर्धारित ईशारे से अवगत कराया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी मय हमराहियान अपने वाहनो से कार्यालय एवीवीएनएल डुंगरपुर के बाहर स्थित टैक्सी वाहन एवं मोटरसाईकिल से पहुंचे जहां टैक्सी स्टेण्ड पर खडे वाहन में आरोपी रमेशचन्द्र हैडकानि. एक टेक्सी वाहन में बैठने की तैयारी में था कि आरोपी श्री रमेशचन्द्र हैडकानि. को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रोका गया। आरोपी श्री रमेश चन्द्र हेड कानि वर्दी में हो नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर रमेश चन्द्र नाम अंकित था। इसी दौरान परिवादी श्री आशिष यादव द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर अपने पास रखा एवं उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमेशचन्द्र हैडकानि. को अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर

अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री रमेश चन्द्र यादव पुत्र श्री गोविन्द यादव उम्र 48 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट नन्दौर थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल हैडकानि नम्बर 526, पुलिस थाना रामसागड़ा, जिला डूंगरपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमेशचन्द्र यादव हैडकानि को परिवादी श्री आशिष यादव से ग्रहण की गई तीन हजार रूपये रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे पर्स में रखना बताया। चुंकि घटना स्थल मुख्य सडक का होकर वाहनो की काफी आवा–जावी/भीडभाड होने से एवं अग्रिम कार्यवाही किया जाना वांछित होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमेशचन्द्र हैड कानि. का बाया हाथ श्री दिनेश कुमार कानि. से एवं दाहिना श्री टीकाराम कानि से कलाई के उपर से पकडवाया जाकर सामने स्थित कार्यालय सहायक अभियंता, ए.वी.वी.एन.एल., डूंगरपुर के परिसर में प्रवेश कर वहां उपस्थित श्रीमति स्वाति रोत कनिष्ठ अभियंता ए.वी.वी.एन.एल., डूंगरपुर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के मनत्व्य से अवगत करा अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु बताया गया तो उनके द्वारा कमरा नम्बर 1, सहायक अभियन्ता शहर का कार्यालय कक्ष उपलब्ध करवाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री रमेश चन्द्र यादव हैड कानि को परिवादी श्री आशिष यादव से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 3000/– रूपये के बारे में पूछा गया तो आरोपी द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना रामसागड़ा में परिवादी श्री आशिष यादव के विरूद्ध श्री अम्बालाल द्वारा उनकी पैतृक जमीन पर कब्जे को लेकर लडाई की शिकायत की थी। जिस पर थाने पर परिवाद दर्ज है जिसकी जॉच मेरे द्वारा की जा रही है। उक्त जॉच में वकील को पैसे देने के लिये मैंने उनसे उक्त तीन हजार रूपये लिये। जिस पर पास में उपस्थित परिवादी द्वारा स्वतंत्र गवाह के समक्ष बताया कि हैड साहब झूठ बोल रहे है इन्होने मुझसे जो राशि अभी–अभी ली है वो राशि वकील की नहीं होकर इनके द्वारा कई दिनो से ही मुझसे रिश्वत के रूपयो की मांग की जा रही है। रूपये नही देने पर मेरे विरूद्ध दर्ज शिकायत को आगे भेजने एवं मेरे द्वारा चरित्र सत्यापन बनवाने पर उसमें परिवाद के बारे में लिखने की धमकी दी ताकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगे की धमकी देकर, इनके द्वारा रूपयो की मांग करने पर मैंने दिनांक 23.08.2023 को ही आपके कार्यालय में रिश्वत राशि मांगने की लिखित शिकायत की थी। जिस पर दिनांक 27.08.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान भी हेड साहब ने मेरे से रिश्वत की मांग कर मेरे से 1000 रूपये ग्रहण किये एवं 3000 रूपये लेने की सहमति दी थी, उसी कम में आज हैड साहब श्री रमेश चन्द्र ने मुझसे अपनी मांग अनुसार तीन हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई वर्दी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे पर्स में रखी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः आरोपी को पूछा गया तो आरोपी कुछ नहीं बोला अपना सिर नीचे कर दिया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि से परिवादी के विरूध थाने पर दी गई शिकायत पर की गई कार्यवाही के संबन्ध में पुछने पर आरोपी ने अपने पास रखे फाईल फोल्डर मेसे एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2023 जिस परिवाद भाग 3 संख्या 333/23 दिनांक 30.07.2023 अंकित हो थाना डीओ द्वारा परिवाद पर ही श्री रमेश चन्द्र हेड कानि नम्बर 526 को आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट करने का अंकन पाया गया। तत्पश्चात् परिवादी की मां काली बाई द्वारा थाने पर की गई शिकायत के बारे में पुछने पर बताया कि दोनो शिकायतों की जांच मेरे द्वारा ही की जा रही है इतना कह कर आरोपी ने अपनी नजरे नीचे कर ली। जिस पर आरोपी के कब्जे से प्राप्त मूल प्रार्थना पत्र को गवाहान परिवादी आरोपी के हस्ताक्षर करा वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिया गया। चुंकि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथो से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की पिछे की दाहिने जेब में रखे पर्स में रखी गई। आरोपी के दोनो हाथो एवं पर्स के धोवन का घोल लिया जाना वांछित होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा टेक्सी वाहन से ट्रेप बॉक्स श्री टीकाराम कानि से मंगवाया गया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री टीकाराम कानि से ट्रेप बॉक्स में रखे प्लास्टिक के दो नये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें कार्यालय सहायक अभियन्ता ए.वी.वी. एन.एल के कक्ष में रखे प्लास्टिक के केम्पर से पीने का साफ पानी प्लास्टिक की दोनो पारदर्शी डिस्पोजल गिलासो में भरवाया जाकर उसमें स्वतंत्र गवाह श्री नितिन कुमार भावसार कनिष्ठ सहायक से एक–एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त अपरिवर्तित घोल की एक गिलास में आरोपी श्री रमेशचन्द्र हैडकानि के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। उक्त

पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी श्री रमेश चन्द्र हेड कानि की उपस्थिति में रिश्वत राशि ग्रहण एवं बरामदगी स्थल कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल डुंगरपुर का फर्द घटनास्थल मुर्तिब कर गवाहान आरोपी एवं संबधितो के हस्ताक्षर कराये तथा समय करीब 01:55 पीएम पर मौके पर एवीवीएनएल कार्यालय पर आम जनता एवं कर्मचारियों की काफी भीड भाड एवं शोर शराबा होने से तथा सुरक्षा की दृष्टि से अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय डिटेनशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि, दोनो गवाहान ब्यूरो जाब्ता सिलचिटि शुदा मालखाना आर्टीकल ट्रेप बॉक्स के अपने अपने वाहनो से कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो डुंगरपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 02:05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय डिटेनशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि, दोनो गवाहान ब्यूरो जाब्ता सिलचिट शुदा मालखाना आर्टीकल ट्रेप बॉक्स के अपने अपने वाहनो से कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल डुंगरपुर से रवानाशुदा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो डुंगरपुर पहुंचे। कार्यालय पर उपस्थित श्री करण सिंह सउनि भ्र.नि.ब्यूरो डुंगरपुर से कार्यवाही हेतु पृथक से कक्ष के लिये अवगत कराया जिस पर उनके द्वारा कक्ष उपलब्ध करवाया गया। तत्पश्चात समय करीब 02:15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमेश चन्द्र हेड कानि से उसके निवास स्थान के बारे में पुछा गया तो उसने बताया कि मेरा एक पुश्तेनी मकान गांव नन्दोर थाना सागवाडा में है तथा मैं वर्तमान में पुलिस थाना रामसागड़ा में सरकारी क्वार्टर में निवास करता हूं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानिदोनो स्वतंत्र गवाहान सुरेश कुमार मय लेपटोप प्रिंटर एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से आरोपी श्री रमेश चन्द्र हेड कानि पुलिस थाना रामसागड़ा स्थित सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी लेने हेतु रवाना होकर समय करीब 02:45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि दोनो स्वतंत्र गवाहान सुरेश कुमार मय लेपटोप प्रिंटर एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से आरोपी श्री रमेश चन्द्र हेड कानि पुलिस थाना रामसागड़ा स्थित सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी हेतु रवाना हो पुलिस थाना रामसागड़ा पहुंची जहां श्री मणीलाल मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना रामसागड़ा उपस्थित मिले जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने आने के मंतव्य से अवगत करा परिवादी श्री आशीष यादव द्वारा थाना हाजा पर पेश शुदा परिवाद एवं परिवादी के विरूध दी गई रिपोर्ट में की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। दौराने कार्यवाही आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि के पास मिला फाइल फोल्डर जिसमें अन्य सरकारी पत्रावलीयां थी को सुरक्षित थानाधिकारी को संभलाई गई। तत्पश्चात थाना परिसर स्थित आरोपी के क्वार्टर की गवाहान की उपस्थिति में तलाशी ली जाकर फर्द खानातलाशी मुर्तिब कर गवाहान आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की पहनी हुई वरदी को ससम्मान उतरवाकर कर्वाटर पर रखी हुई एक लॉवर एवं टीशर्ट पहनाई गई। आरोपी के निवास पर ताला लगवाकर चाबी श्री मणीलाल थानाधिकारी को सुपुर्द की गई। तत्पश्चात् समय करीब 03:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि दोनो स्वतंत्र गवाहान सुरेश कुमार मय लेपटोप प्रिंटर एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से आरोपी श्री रमेश चन्द्र हेड कानि पुलिस थाना रामसागड़ा स्थित सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी लेने के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय डुंगरपुर के लिये रवाना होकर समय करीब 04:00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय डूगरपुर पर उपस्थित आये। तत्पश्चात् समय करीब 04:05 पीएम पर पुलिस थाना रामसागड़ा से हेड कानि श्री हितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत उम्र 53 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट देवला, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर हाल हैड कानि नं. 26, पुलिस थाना रामसागड़ा , डूंगरपुर मय परिवादी श्री आशिष यादव की माताजी श्रीमती काली पत्नी स्व. श्री गोपालयादव उम्र 55 वर्ष निवासी यादव बस्ती माडा, डूंगरपुर द्वारा विरूद्ध श्री मगनलाल, अम्बालाल, जयन्ति, श्रीमती वनिता निवासीयान यादव बस्ती माडा, डूंगरपुर के प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर पुलिस थाना रामसागड़ा पर की गई निरोधात्मक कार्यवाही ईस्तगासा संख्या 129/2023 अन्तर्गत धारा 107,151 सीआरपीसी की सत्यापित छायाप्रति एवं पुलिस थाना रामसागड़ा के उक्त परिवादो से संबंधित निरोधात्मक कार्यवाही रजिस्टर की सत्यापित प्रति के साथ उपस्थित हुए। मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त दस्तावेजो के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि ''दिनांक 30.07.2023 को श्रीमती काली पत्नी स्वं. गोपाल यादव ने विरूद्ध श्री मगनलाल, अम्बालाल, जयन्ति, श्रीमती वनिता निवासीयान यादव बस्ती माडा, डूंगरपुर तथा श्री अम्बालाल पुत्र मगनलाल यादव ने श्री आशिष पुत्र स्व. गोपाल व श्रीमती काली पत्नी स्व. गोपाल यादव के विरूद्ध पैतृक जमीन के विवाद संबंधी लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना रामसागड़ा पर प्रस्तुत की थी। जिनका निरोधात्मक कार्यवाही रजिस्टर के

कम संख्या 332 व 333 पर इन्द्राज किया गया। उक्त दोनो परिवादो की जॉच श्री रमेश चन्द्र हैडकानि 526 के जिम्मे हो उनके द्वारा की जा रही थी। दिनांक 07.08.2023 को श्री रमेश चन्द्र हैडकानि 526 द्वारा श्रीमती काली पत्नी स्व. श्री गोपाल यादव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर बाद जॉच ईस्तगासा संख्या 129/2023 अन्तर्गत धारा 107,151 सीआरपीसी में विरूद्व श्री मगनलाल, अम्बालाल, जयन्ति, श्रीमती वनिता व श्रीमती मनिषा निवासीयान यादव बस्ती माडा, डूंगरपुर मुर्तिब कर श्रीमान कार्यालय मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार तहसील गामडी अहाडा डूंगरपुर के समक्ष आरोपीगणो को पेश कर जमानत मुचलके पर पाबन्द की कार्यवाही की गई। श्री अम्बालाल पुत्र मगनलाल यादव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जॉच श्री रमेश चन्द्र हेड कानि के पास वर्तमान में पेण्डिंग है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त सत्यापित दस्तावेज थानाधिकारी पुलिस थाना रामसागड़ा , जिला डूंगरपुर की सील मोहर व श्री मणीलाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना रामसागड़ा के हस्ताक्षर से प्रमाणित की गई है।

तत्पश्चात् समय करीब 04:15 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में दर्ज वार्तादिनांक 27.08.2023 व 28.08.2023 को के अंशो को रिकॉर्डर से चलाकर श्री हितेन्द्र सिंह हेड कानि नम्बर 26 को सुनाई गई जिस पर श्री हितेन्द्र सिंह हेड कानि ने उक्त वार्ताओ में दर्ज एक आवाज श्री रमेश चन्द्र यादव हैडकानि 526 की होना बताया एवं बताया कि मैं विगत दो वर्षो से पुलिस थाना रामसागड़ा पर हैडकानि के पद पर पदस्थापित हूँ। मैं पुलिस थाना रामसागड़ा पर फोर्स व काईम प्रभारी का कार्य करता हूँ। इसलिये मेरी श्री रमेश चन्द्र हैडकानि से रूबरू व मोबाईल पर राजकीय व अन्य कार्य के संबंध में वार्ता होती रहती है। इसलिये में श्री रमेश चन्द्र हैडकानि की मोबाईल पर व रूबरू बात करने की आवाज को बखुबी पहचानता हूँ। तत्पश्चात् समय करीब 05:21 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 27.08.2023 को परिवादी श्री आशीष यादव एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि. के मध्य पुलिस थाना रामसागड़ा स्थित आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि के सरकारी आवास पर आपस में रूबरूहुई रिश्वत राशि मांगसत्यापन वार्ता जिसे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह परिवादीएवंआरोपी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होना ताईद किया। उक्त वार्ता कीफर्द ट्रांसकिप्ट श्री लक्षमण सिंह कनि. सहा. से स्थानीय भाषा का रूपांतरण हिन्दी भाषा में करवा श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट टाईप करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को श्री टीकाराम कानि. द्वारा सीलचिट किया जाकर मार्क "A" अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 08:42 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 28.08.2023 को परिवादी श्री आशीष यादव के मोबाईल नम्बर 7041281595 एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि के मोबाईल नम्बर 9983818609 के मध्य समय करीब 11.00 एएम पर हुई मोबाईल फोन वार्ता जिसे परिवादी के मोबाईल फोन को लॉउड मोड पर ऑन करडिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह परिवादीएवं आरोपी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होना ताईद किया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री लक्षमण सिंह कनि. सहा. से स्थानीय भाषा का रूपांतरण हिन्दी भाषा में करवा श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट टाईप करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को श्री टीकाराम कानि. द्वारा सीलचिट किया जाकर मार्क "B" अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 10:15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 28.08.2023 को परिवादी श्री आशीष यादव एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि के मध्य बस स्टेण्ड से तहसील चौराहा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जिसे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह परिवादीएवं आरोपी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होना ताईद किया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री लक्षमण सिंह कनि. सहा. से स्थानीय भाषा का रूपांतरण करवा श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट टाईप करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये।

उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को श्री टीकाराम कानि. द्वारा सीलचिट किया जाकर मार्क "C" अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया।

तत्पश्चात समय करीब 011:15 पीएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.08.2023, मोबाईल फोन वार्ता दिनांक 28.08.2023 एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता दिनांक 28.08.2023 के दौरान ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बरंग ब्लेक को मूल ही परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर वजह सबूत कवर में रखा जाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क "M" अंकित किया गया तथा समय करीब 11:25 पीएम पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र यादव हेड कानि के कब्जे से दौराने कार्यवाही मिले एक मोबाईल फोन वीवो वाई–20 जी बरंग हल्का आसमानी जिसके आईएमईआई नम्बर क्रमशः प्रथम 864307051938235 एवं दूसरा आईएमईआई नम्बर 864307051938227 है। उक्त मोबाईल ड्यूअल सिम होकर एक सिम जिओ कम्पनी की 9983818609 एवं दूसरी सिम एयरटेल 9578101790 है। उक्त मोबाईल को वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में श्री टीकाराम कानि. द्वारा सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क "M1" अंकित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 11:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रमेशचन्द्र यादव हेड कानि को रिश्वत राशि मांग सत्यापन, मोबाईल फोन वार्ता एवं लेनदेन वार्ता में उसकी आवाज ब्यूरो के रिकार्डर में रिकॉर्ड होने से उसे उसकी आवाज का नमूना देने एवं अपने बचाव में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र एसपीएल 1 दिनांक 28.08.2023 दिया गया। जिस पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि द्वारा अपनी आवाज का नमूना नही देने एवं अपना स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय में बाद में पेश करने बाबत अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। पत्र की प्रति को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 11:55 पीएम पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि द्वारा पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में संज्ञेय अपराध कारित किया गया। अतः आरोपी श्री रमेश चन्द्र यादव हेड कानि नम्बर 526 पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डुंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार धारा 41 (क) जा.फो की पालना की जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी द्वारा बताये उपस्थित हेड कानि श्री हितेन्द्र सिंह को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् दिनांक 29.08.2023 को समय करीब 12.20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हितेन्द्र सिंह हेड कानि को आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि के कब्जे से बरामद परिवादी के विरूध थाना रामसागड़ा पर दर्ज परिवादी संख्या 333/23 की एक छाया प्रति करवाकर वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द की गई। बाद श्री हितेन्द्र सिंह हेड कानि को रूखसत किया गया तथा समय करीब 12.25 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक आरोपी श्री रमेशचन्द्र हेड कानि के कब्जे से दिनांक 27.08.2023 को परिवादी से दौराने मांग सत्यापन वार्ता ग्रहण किये गये 500–500 रूपये के दो नोट कुल 1000 रूपये के नोटो के फोटो की प्रिंट के लेने के लिये परिवादी के मोबाईल फोन को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा नम्बरी नोट की प्रिंट निकालकर गवाहान परिवादी के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किये। तत्पश्चात् समय करीब 3.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र हैड कानि., ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि., श्री लाल सिंह हेड कानि, दिनेश कुमार, श्री टीकाराम, श्री सुरेश कानिगण मय ट्रेप बॉक्स मालखाना आर्टीकल लेपटोप प्रिंटर एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से रवाना डूगरपुर से रवाना होकर समय करीब 6.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र हैड कानि., ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि., श्री लाल सिंह हेड कानि, दिनेश कुमार, श्री टीकाराम, श्री सुरेश कानिगण मय ट्रेप बॉक्स मालखाना आर्टीकल लेपटोप प्रिंटर एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से उदयपुर पहुचा। दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया। कार्यवाही में जब्तशुदा सिलचिट मालखाना आर्टीकल को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना प्रभारी श्री टीकाराम कानि. को संभलाकर मालखाना रजिस्टर में दर्ज करने की हिदायत दी गई।

इस प्रकार आरोपी श्री रमेशचन्द्र यादव पुत्र श्री गोविन्द जी यादव उम्र 48 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट नन्दौर थाना सागवाडा जिला डूगरपुर हाल हैड कानि. 526, पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डूगरपुर द्वारा एक लोक सेवक के पद पर होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी के पैतृक जमीन के विवाद के सम्बन्ध में पुलिस थाना रामसागड़ा पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की एवज् में एवं परिवादी के विरूद्ध द्वितीय पक्ष द्वारा पुलिस थाना रामसागड़ा पर दर्ज परिवाद पर कार्यवाही नहीं करने व परिवाद को आगे नहीं भेजने की एवज् में पुलिस थाना रामसागड़ा के हैड कानि. श्री रमेशचन्द्र यादव द्वारा 10,000 रूपये रिश्वत राशि मांग करना तथा परिवादी श्री आशीष यादव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दिनांक 27.08.2023 को मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई तो आरोपी श्री रमेशचन्द्र यादव हैड कानि. द्वारा 4000 रूपये की मांग कर 1000 रूपये दौराने मांग सत्यान ग्रहण करना पाया गया। जिस पर दिनांक 28.08.2023 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित कर आरोपी की मांग अनुसार परिवादी से शेष रिश्वत राशि 3000 रूपये ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपियों के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डां. सोनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट विक्रम सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रमेशचन्द्र यादव पुत्र श्री गोविन्द यादव उम्र 48 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट नन्दौर थाना सागवाड़ा जिला डूंगरपुर हाल हैड कानि. 526, पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 236/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

29.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2694-97 दिनांक 29.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

29.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।